सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2006 / 00020 दर्ज तिथिः–24.07.2006

1. मूमल पत्नी तेजाराम (फौत डिलिट)
2. सुखराम पुत्र तेजाराम
3. किशनाराम पुत्र तेजाराम
4. हरीराम पुत्र हुकमाराम
5. राजूराम पुत्र साजनराम
6. रामजीवण पुत्र साजनराम
7. लाडूराम पुत्र किसनाराम
8. शैतानराम पुत्र किसनाराम
9. जैताराम पुत्र कानाराम
10. हरिराम पुत्र कानाराम
11. श्रीराम पुत्र कानाराम
12. मोहनलाल पुत्र मंगलाराम
13. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम

जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमन्ना
..............................वादी

बनाम

1. जगराम पुत्र(गोदपुत्र) हेमाराम
2. गंगा देवी पुत्री हेमाराम
3. चन्दू पुत्री हेमाराम
4. शान्ती पुत्री हेमाराम
5. नेनू पत्नी उमाराम
6. मीरा पत्नी धुड़ाराम
7. मोहनी पत्नी धर्माराम
8. हीरों पत्नी लालाराम
9. सुगणी पत्नी भारता
10. पारू पत्नी शेराराम
11. तुलछी पत्नी मंगलाराम
12. शान्ती पत्नी बीजाराम
13. गजरी पत्नी नरसिंगा
14. केली पत्नी प्रभु

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

15. पारू पत्नी उदा
16. धना पुत्र हुकमा फौत के कायम मुकाम
    16/1 पेमाराम पुत्र धना
    16/2 गोपालराम पुत्र धना
17. उदाराम पुत्र हुकमाराम फौत के कायम मुकाम
    17/1 किशनाराम पुत्र उदाराम
    17/2 हीराराम पुत्र उदाराम
    17/3 नारणाराम पुत्र उदाराम
    17/4 भजनलाल पुत्र उदाराम
    17/5 पर्वू में प्र.सं.15 पर दर्ज
18. नरसींगाराम पुत्र रतना
19. प्रभु पुत्र रतना
20. झमू बेवा रतना फौत के कायम मुकाम प्र.सं. 18 व 19 (डिलिट)
21. सोना पुत्र रामू
22. लाला पुत्र रामू फौत के कायम मुकाम
    22/1 आसुराम पुत्र लालाराम
    22/2 राजुराम पुत्र लालाराम
    22/3 लाधुराम पुत्र लालाराम
23. भारता पुत्र रामू
24. मंगला पुत्र रामू
25. बीजा पुत्र रामू
26. भाखरा पुत्र रामू
27. ओमप्रकाश पुत्र शेरा
28. पांचा पुत्र शेरा
29. हनुमान पुत्र रामकेन (डीलीट)
30. कौशला पुत्र काना (डीलीट)
    जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
31. सचिव सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा
32. शाखा प्रबन्धक,एसबीआई धोरीमना
33. तहसीलदार धोरीमना
34. सुखराम पुत्र खूमाराम
35. भारमलराम पुत्र खूमाराम
36. सदराम पुत्र कानाराम
37. आसुराम पुत्र सुखराम
38. ठाकराराम पुत्र भैराराम
39. मंगलाराम पुत्र भैराराम
40. शेराराम पुत्र भैराराम
41. किसनाराम पुत्र भैराराम
42. धोंकलाराम पुत्र भैराराम
43. रूखमण पत्नी भैराराम
44. विरधाराम पुत्र भगवानाराम
45. रामलाल पुत्र भगवाना
46. केसरीमल पुत्र भगवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

मूमल बनाम जगराम
2006 / 00020
निर्णय दिनांकः—08.04.2025

47. राणाराम पुत्र जगराम
48. सत्यपाल पुत्र जगराम
49. द्रौपदी पुत्री जगराम
50. मीरा पत्नी जगराम
51. रमेश पुत्र हरचन्द
52. गणपत पुत्र हरचन्द,
53. पवनी पत्नी हरचन्द
54. धुड़ा पुत्र वागा
55. गोगाराम पुत्र अर्जुनराम
56. जेठाराम पुत्र अर्जुनराम
57. मोहनलाल पुत्र अर्जुनराम
58. धनी देवी पत्नी अर्जुनराम
59. गोकला पुत्र सांवताराम
60. मदा पुत्र ईशराराम
61. तेजा पुत्र ईशराराम

जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमना

62. प्रबन्धक,राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना
63. प्रबन्धक,पंजाब नेशनल बैंक शाखा धोरीमना

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री ओमप्रकाश विश्नोई(1 से 3)
श्री गंगाराम विश्नोई(4 से 13)
प्रतिवादीः— श्री भाखराराम विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—08.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 465 रकबा 111 बीघा वाके ग्राम अजाणियों की ढाणी,पटवार हल्का धोरीमना, तहसील धोरीमना में अवस्थित है। खसरा संख्या 464, 465, 466 व 467 वक्त भू—प्रबन्ध एकल खेत थे। परन्तु पैमाईश के समय खसरा संख्या 464 व 465 के मध्य रास्ता पड़ने से इसके दो भाग कर दिये गए। खसरा संख्या 466 की हुकमा पिसवान काछबा के नाम से पैमाईश की गई व खसरा संख्या 467 की पैमाईश काना,हुकमा,साजन पिसवान काछबा के नाम से पर्चा लगान जारी किया गया तथा भूलवश खसरा संख्या 466 ,467 की पर्चा लगान जारी करने के [illegible] ही खसरा संख्या 465 भी हुकमा पुत्र मुकना के नाम से [illegible] जबकि हुकमा पुत्र मुकना का कोई कब्जा काश्त नहीं था। खसरा संख्या 465 पर वा[illegible] के पूर्वज तेजाराम का ही कब्जा काश्त था तथा तेजाराम ही सेटलमेंट से [illegible] जिन्दा रहने तक तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

उसके बाद उसके वारिसान इस भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण का इस भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 30 मय वकुलाय न्यायालय हाजा उपस्थित हुए। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपना जबाव प्रस्तुत किया गया । जिसका वादीगण द्वारा जवाब–बुल–जवाब प्रस्तुत किया। साथ ही वादी वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादीगण की कोई आपति नहीं होने पर स्वीकार किया जिसमें वादी संख्या 3 से 11 व प्रतिवादी संख्या 34 से 63 पक्षकार के रूप में संयोजित होने पर रेकर्ड पर लिये गए जिनकी ओर से जरिये वकालतनामा न्यायालय में उपस्थिति दी गई। तथा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का स्वीकार कर संशोधित वाद पत्र रेकर्ड पर लिया गया। तत्पश्चात पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत करने पर वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न शपथ पत्र, गवाह एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाऐ।

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 14 मौजा अजाणियों की ढाणी	प्रदर्श–01
नक्शा	खाता संख्या 14 मौजा अजाणियों की ढाणी	प्रदर्श–02
खतौनी बन्दोबस्त	खाता संख्या 230 संवत 2012 से 2039 मौजा धोरीमना	प्रदर्श–03
खतौनी बन्दोबस्त	खाता संख्या 108 व 109 मौजा धोरीमना	प्रदर्श–04
जमाबंदी	खाता संख्या 35 मौजा अजाणियों की ढाणी संवत 2059–2062	प्रदर्श–05
खसरा गिरदावरी	खसरा संख्या 465,466,467	प्रदर्श –06
खसरा गिरदावरी	खसरा संख्या 465,466,467	प्रदर्श–07
खसरा गिरदावरी	खसरा संख्या 465,466,467	प्रदर्श–08

प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी
सुखराम पुत्र तेजाराम	विश्नोई	PW-1
श्रीराम पुत्र कानाराम	विश्नोई	PW-2
रामजीवण पुत्र साजन	विश्नोई	PW-3
हरीराम पुत्र हुकमाराम	विश्नोई	PW-4

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

रामचन्द्र पुत्र तुलछाराम	विश्नोई		PW-5

2. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	प्रदर्श
बीजाराम पुत्र रामुराम	विश्नोई	अजाणियों की ढाणी	DW-1
सुखराम पुत्र खूमाराम	विश्नोई	अजाणियों की ढाणी	DW-2
विरधाराम पुत्र भगवानाराम	विश्नोई	अजाणियों की ढाणी	DW-3
किशनाराम पुत्र उदाराम	विश्नोई	अजाणियों की ढाणी	DW-4
गोगाराम पुत्र अर्जुनराम	विश्नोई	अजाणियों की ढाणी	DW-5

3. तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई । पत्रावली में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीनी द्वारा कथन किया कि पटवार हल्का धोरीमना में वक्त सेटलमेन्ट अमीन द्वारा मौके पर नाप कर नक्शा बनाकर खातेदारी का इन्द्राज करते समय उक्त अमीन उतरी भारत का होने से यहां कि स्थानीय भाषा समझ में कम आने से कुछ खसरे भौतिक कब्जे के विपरीत कायम कर दूसरे के खातेदारी में दर्ज कर दिये गए। हस्तगत वाद में मुख्य विवादित खसरा संख्या 465 जो वक्त सेटलमेन्ट में रकबा 111 बीघा का कायम हुआ जो कब्जे के अनुसार इस खसरे को गलत तरीके से बन्दोबस्त किया गया तथा इसके पड़ौसी खसरे खसरा संख्या 466, 467 व 468 भी इसी त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण गलत मालिकाना हक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। जिसमें खसरा संख्या 468 जो हुकमा,पना,खिंया पिसरान मुकना का था जबकि रूघा पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज हो गया। खसरा संख्या 466 जो वर्तमान सभी वादीगण का था परन्तु सैटलमेन्ट में तेजा पुत्र मोबता के नाम दर्ज नहीं होकर शेष वादीगण के नाम दर्ज हुआ। इसी प्रकार खसरा संख्या 467 तेजा पुत्र मोबता व साजन पुत्र काछबा दोनों के नाम दर्ज होने से रह गया जबकि उक्त खसरा हरीराम पुत्र हुकमा व काना पुत्र काछबा के नाम दर्ज हो गया। जिसके संबंध में भी इसी न्यायालय ने दो अन्य वाद पेश होकर वास्तविक खातेदार के नाम से घोषित हो चुके है। तथा खसरा संख्या 468 जिसमें वास्तविक खातेदार के नाम घोषित होने के बाद रूघा के वारिशों द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जिसमें हस्तगत पत्रावली में स्वतंत्र साक्षी पीडब्ल्यु 5 रामचन्द्र द्वारा इसी वाद में अपील गलत होना जाहिर किया हैं। तथा अपीलान्ट कोर्ट में भी राजीनामा पेश कर चुका है। तथा खसरा संख्या 466 व 467 में आम सहमति जरिये राजीनामा वास्तविक खातेदारों का नाम न्यायालय द्वारा घोषित किया जा चुका है। इसलिए उक्त विवादग्रस्त आराजी जिसमें 20 बीघा भूमि कब्जा काश्त के अनुसार वर्ष 2004 में इसी न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 29 व 30 के नाम घोषित कर खसरा संख्या 465/1 कायम होकर शेष [illegible] संख्या 465/14.7305 है0 में वक्त सैटलमेन्ट हुकमा पुत्र मुकना के ना[illegible]ई तथा वर्ष 2004 तक अनवरत रूप से हुकमा के वारिशों के [illegible] वादीगण की होने से वर्ष 2004 के फैसले में हुकमा के साथ हुकमा के [illegible]इयों के नाम भी इस भूमि में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

करवा दिये जो यह ताहिद करता है कि हुकमा का नाम गलत रूप से इन्द्राज हुआ है। साथ ही खसरा संख्या 465 जो 111 बीघाका कायम किया जो गलत कायम किया गया क्यों कि 111 बीघा में 20 बीघा कौशला वगैरा की थी तथा 4 बीघा जो खसरा संख्या 468 में प्रतिवादीगण के नाम रखनी थी। उसे भी गलत तरिके से 465 में इन्द्राज किया गया। जबकि कब्जा काश्त अनुसार खसरा संख्या 465 रकबा 87 बीघा का कायम कर तेजा पुत्र मोबता 1／4, हुकमा पुत्र काछबा 1／4 , काना पुत्र काछबा 1／4 , साजन पुत्र काछबा 1／4 के रूप में सेटलमेन्ट किया जाना न्यायसंगत था। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त करते हुए 87 बीघा भूमि वादीगण के पक्ष में घोषित करने का कथन वादी साक्ष्य व प्रतिवादी साक्ष्य स्पष्ट रूप से कर रहे है। पीडब्ल्यु 5 रामचन्द्र पुत्र तुलछाराम जो पेशे से अध्यापक 65 वर्षीय रूघा पुत्र गिरधारी का वारिश व इस पत्रावली का स्वतंत्र साक्षी है। तथा इस साक्षी के दादा रूघा के नाम गलत इन्द्राज हो जाने से 78 बीघा भूमि जरिये वाद सोना बनाम पीरा की प्रतिवादीगण के पक्ष में घोषित होने का तथा उक्त घोषणा सही होने का कथन करते हुए खसरा संख्या 465 में खसरा संख्या 465／1 व 468 के बीच स्थित 4 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम रखते हुए रकबा 87 बीघा भूमि घोषित करने का अधिकारी है। कि वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजों में वर्ष 2012 से विक्रम संवत 2035 तक की खसरा गिरदावरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिनमें स्पष्ट रूप से खसरा संख्या 465 में गिरदावरी वादीगण के पूर्वजों के नाम अंकित है। जो प्रदर्श 6,7 व 8 से प्रमाणित है,यानि वक्त सैटलमेन्ट 87 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा था इसीलिए वादीगण के पक्ष में घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने इन्हीं तथ्यों की ताहिर की है।

4. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित खेत खसरा संख्या 465 रकबा 111 बीघा जिसमें 20 बीघा भूमि पर कौशला पुत्र काना व उसके भाई का कब्जा था तथा रकबा 4 बीघा भूमि पर हुकमा वगैरा का कब्जा था जबकि 87 बीघा भूमि पर वादीगण व नवसृजित वादीगण का कब्जा काश्त सैटलमेन्ट से पूर्व से था परन्तु वक्त सेटलमेन्ट तात्कालिक अमीन की लापरवाही के कारण पटवार हल्का घोरीमना के राजस्व ग्राम अजाणियों की ढाणी में आधे से अधिक खसरे कब्जे के विपरीत बना दिये गए इस कारण यह 111 बीघा भूमि हुकमा पुत्र मुकना के नाम दर्ज हो गई। वर्ष 2004 में मुकना व कौशला पुत्र काना व रामकेन पुत्र गिरधारी के आपस में बंटवारा होते समय 20 बीघा भूमि कब्जा अनुसार कौशला के नाम दर्ज कर दी गई जो खसरा संख्या 465／1 है। शेष बचा मूल खसरा 465 रकबा 91 बीघा यानि 14.7305 है0 जो हुकमा से हुकमा व उसके दो भाईयों के नाम दर्ज हो गया इसकी जानकारी होने पर वादी मूमल वगैरा जो तेजा पुत्र मोबता के वारिश है ने इस खसरे में अपने कब्जा काश्त अनुसार घोषणा का वाद हुकमा के वारिशों व कौशला व हनुमान को पक्षकार बनाकर पेश किया गया परन्तु वर्ष 2004 के फैसले में कौशला व हनुमान का खसरा अलग हो जाने से उन्हे पक्षकार से हटा दिया गया तथा हुकमा के भाईयों के नाम [illegible] दर्ज हो जाने से उन्हें प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। साथ ही खसरा संख्या 466 व 46[illegible] पुत्र मोबता के वारिशों का नाम सहमति से इसी न्यायालय में राजीनामा कर [illegible] जो इस वाद में साजन पुत्र काछबा, हुकमा पुत्र काछबा व काना पुत्र काछबा जो इस 87 बीघा भूमि में 1／4 — 1／4 हिस्से के काश्तकार होने से [illegible] के वाद में राजीनामा के अनुसार तेजा पुत्र मोबता के वारिशों के साथ वादीगण पक्षकार बनाया गया। अब उक्त 91

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested

...कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

बीघा भूमि में 4 बीघा बरंग लाल की प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से रखते हुए शेष 87 बीघा भूमि बरंग हरा में वादीगण ने अपना हिस्सा घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। साथ ही इस त्रुटिपूर्ण इन्द्राज में खसरा संख्या 468 जो रूघा पुत्र गिरधारी के नाम भूलवश दर्ज हो गया उसे पूर्व में इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया है जिसमें रूघा पुत्र गिरधारी के वारिश रामचन्द्र पुत्र तुलछा ने उक्त पत्रावली में अपने बयान दर्ज करवाते हुए प्रतिवादीगण के नाम घोषित होना सही बताया है साथ ही प्रतिवादीगण ने इकबालिया बयान देकर 87 बीघा भूमि वादीगण के नाम घोषित करने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में उक्त विवादग्रस्त खसरा संख्या 465/14.7305 है0 को 4 बीघा (0.6475 है0) भूमि बरंग लाल को छोडकर शेष रकबा 87 बीघा (14.0830 है0) बरंग हरा वादीगण के पक्ष में घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरार हक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीगण को मुतनाजा आराजी हाल वाके ग्राम आजाणियों की ढाणी, पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 465 क्षेत्रफल 14.7305 है0 यानि 91 बीघा में से रकबा 87 बीघा यानि 14.0830 है0 बरंग हरा में वादी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा ,वादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 5 से 8 का 1/4 हिस्सा ,वादी संख्या 9 से 13 का 1/4 हिस्सा तथा खसरा संख्या 465 में रकबा 4 बीघा बरंग लाला में प्रतिवादी गण संख्या 1 से 28, 34 से 43 तथा 44 से 61 के नाम पूर्व की भांती राजस्व रेकर्ड में बदस्तूर जारी रहेगा। वादीगण को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक खातेदार दर्ज होने बावत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी व प्रतिवादीगण वादीगण/प्रतिवादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 08.04.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested

मूमल बनाम जगराम
2006 / 00020
निर्णय दिनांकः—08.04.2025

सत्यमेव जयते

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20,रूल्स 6,7,सीपीसी)

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2006 / 00020 दर्ज तिथिः—24.07.2006

1. मूमल पत्नी तेजाराम (फौत डिलिट)
2. सुखराम पुत्र तेजाराम
3. किशनाराम पुत्र तेजाराम
4. हरीराम पुत्र हुकमाराम
5. राजूराम पुत्र साजनराम
6. रामजीवण पुत्र साजनराम
7. लाडूराम पुत्र किसनाराम
8. शैतानराम पुत्र किसनाराम
9. जैताराम पुत्र कानाराम
10. हरिराम पुत्र कानाराम
11. श्रीराम पुत्र कानाराम
12. मोहनलाल पुत्र मंगलाराम
13. मांगीलाल पुत्र मंगलाराम

जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमन्ना
............................वादी

बनाम

1. जगराम पुत्र(गोदपुत्र) हेमाराम
2. गंगा देवी पुत्री हेमाराम
3. चन्दू पुत्री हेमाराम
4. शान्ती पुत्री हेमाराम
5. नेनू पत्नी उमाराम
6. मीरा पत्नी धुड़ाराम
7. मोहनी पत्नी धर्माराम
8. हीरों पत्नी लालाराम
9. सुगणी पत्नी भारता
10. पारू पत्नी शेराराम
11. तुलछी पत्नी मंगलाराम
12. शान्ती पत्नी बीजाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

13. गजरी पत्नी नरसिंगा
14. केली पत्नी प्रभु
15. पारू पत्नी उदा
16. धना पुत्र हुकमा फौत के कायम मुकाम
    16/1 पेमाराम पुत्र धना
    16/2 गोपालराम पुत्र धना
17. उदाराम पुत्र हुकमाराम फौत के कायम मुकाम
    17/1 किशनाराम पुत्र उदाराम
    17/2 हीराराम पुत्र उदाराम
    17/3 नारणाराम पुत्र उदाराम
    17/4 भजनलाल पुत्र उदाराम
    17/5 पर्वू में प्र.सं.15 पर दर्ज
18. नरसींगाराम पुत्र रतना
19. प्रभु पुत्र रतना
20. झमू बेवा रतना फौत के कायम मुकाम प्र.सं. 18 व 19 (डिलिट)
21. सोना पुत्र रामू
22. लाला पुत्र रामू फौत के कायम मुकाम
    22/1 आसुराम पुत्र लालाराम
    22/2 राजुराम पुत्र लालाराम
    22/3 लाधुराम पुत्र लालाराम
23. भारता पुत्र रामू
24. मंगला पुत्र रामू
25. बीजा पुत्र रामू
26. भाखरा पुत्र रामू
27. ओमप्रकाश पुत्र शेरा
28. पांचा पुत्र शेरा
29. हनुमान पुत्र रामकेन (डीलीट)
30. कौशला पुत्र काना (डीलीट)

जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी,तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

........................असल प्रतिवादीगण

31. सचिव सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा
32. शाखा प्रबन्धक,एसबीआई धोरीमना
33. तहसीलदार धोरीमना
34. सुखराम पुत्र खूमाराम
35. भारमलराम पुत्र खूमाराम
36. सदराम पुत्र कानाराम
37. आसुराम पुत्र सुखराम
38. ठाकराराम पुत्र भैराराम
39. मंगलाराम पुत्र भैराराम
40. शेराराम पुत्र भैराराम
41. किसनाराम पुत्र भैराराम
42. धोंकलाराम पुत्र भैराराम
43. रूखमण पत्नी भैराराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

44. बिरधाराम पुत्र भगवानाराम
45. रामलाल पुत्र भगवाना
46. केसरीमल पुत्र भगवाना
47. राणाराम पुत्र जगराम
48. सत्यपाल पुत्र जगराम
49. द्रौपदी पुत्री जगराम
50. मीरा पत्नी जगराम
51. रमेश पुत्र हरचन्द
52. गणपत पुत्र हरचन्द,
53. पवनी पत्नी हरचन्द
54. धुड़ा पुत्र वागा
55. गोगाराम पुत्र अर्जुनराम
56. जेठाराम पुत्र अर्जुनराम
57. मोहनलाल पुत्र अर्जुनराम
58. धनी देवी पत्नी अर्जुनराम
59. गोकला पुत्र सांवताराम
60. मदा पुत्र ईशराराम
61. तेजा पुत्र ईशराराम

जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमना

62. प्रबन्धक,राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना
63. प्रबन्धक,पंजाब नेशनल बैंक शाखा धोरीमना

............................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री ओमप्रकाश विश्नोई(1 से 3)
श्री गंगाराम विश्नोई(4 से 13)
प्रतिवादीः–श्री भाखराराम विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादी का दावा बाबत इस्तकरार हक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीगण को मुतनाजा आराजी हाल वाके ग्राम आजाणियों की ढाणी, पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 465 क्षेत्रफल 14.7305 है0 यानि 91 बीघा में से रकबा 87 बीघा यानि 14.0830 है0 बरंग हरा में वादी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा ,वादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 5 से 8 का 1/4 हिस्सा ,वादी संख्या 9 से 13 का 1/4 हिस्सा तथा खसरा संख्या 46[illegible] [illegible]बा 4 बीघा बरंग लाल में प्रतिवादी गण संख्या 1 से 28, 34 से 43 [illegible] से 61 के नाम पूर्व की भांती राजस्व रेकर्ड में बदस्तूर [illegible] वादीगण को उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

आराजी में कानूनन हक हिस्से तक खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी व प्रतिवादीगण वादीगण / प्रतिवादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

8/4/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:25:12 IST
Reason: SelfAttested